[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 9

[दि दिल्ली होटल्स (कंट्रोल आफ अकोमोडेशन) रिपील बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

दिल्ली होटल (वास-सुविधा नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2014

दिल्ली होटल (वास-सुविधा नियंत्रण) अधिनियम, 1949 का निरसन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली होटल (वास-सुविधा नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2014 है ।

1949 के अधिनियम 24 का निरसन ।

2. दिल्ली होटल (वास-सुविधा नियंत्रण) अधिनियम, 1949 को निरसित किया जाता है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिल्ली होटल (वास-सुविधा नियंत्रण) अधिनियम, 1949 को संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में कतिपय अधिसूचित होटलों में वास-सुविधा के नियंत्रण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम को देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के ठीक पश्चात् अधिनियमित किया गया था, क्योंकि ऐसे किसी अधिनियम की आवश्यकता उस समय सरकार द्वारा प्रशासित होटलों और अतिथि गृहों की कमी के कारण महसूस की गई थी । इस अधिनियम का प्रवर्तन स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में किया गया था और चूंकि सरकार ने और होटलों तथा अतिथि गृहों का संनिर्माण कर लिया था या स्वामित्व ले लिया था इसलिए अधिनियम की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती गई ।

2. यह अधिनियम संपदा निदेशक को, जो वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ऐसा आदेश पारित करके और उसे होटल के स्वामी या प्रबंधक पर तामील करके सरकारी पदाधारियों या अन्य ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए वास-सुविधा की आवश्यकता है, वास-सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए और होटल में कुल वास-सुविधा के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक इतने प्रतिशत वास-सुविधा को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियंत्रित वास-सुविधा घोषित करने के लिए सशक्त करता है । इस अधिनियम में यह उपबंध है कि संपदा निदेशक, लिखित आदेश द्वारा किसी होटल के प्रबंधक को आदेश में विनिर्दिष्ट किसी सरकारी आबंटिती को उपयोग के लिए ऐसे होटल में कोई नियंत्रित वास-सुविधा या उसका भाग बुक करने का निदेश दे सकेगा और तदुपरि होटल का प्रबंधक आदेश का तुरंत पालन करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी आबंटिती को, यथास्थिति, ऐसी वास-सुविधा या उसके भाग में निवासी के रूप में स्वीकार करेगा और उसे ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए तथा ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए, जो संपदा निदेशक समय-समय पर निदेश दे, संपदा निदेशक के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सामान्य प्रभारों के संदाय के अध्यधीन उस वास-सुविधा का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

3. संसद् सदस्यों और सरकारी पदधारियों के लिए नियमित या यात्रा या अतिथि वास-सुविधा की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अधिनियम की वर्तमान उपयोगिता की परीक्षा की गई है । अब, संपदा निदेशक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाता है । नव निर्वाचित संसद् सदस्यों के लिए यात्रा वास-सुविधा का इंतजाम राज्य अतिथि गृहों और भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ही किया जाता है । इसलिए दिल्ली होटल (वास-सुविधा नियंत्रण) अधिनियम, 1949 को निरसित करने का प्रस्ताव है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 फरवरी, 2014

कमल नाथ

GMGIPMRND—4385RS(CRC)—13.02.2014.